



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03062021-227365
CG-DL-E-03062021-227365

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310]
No. 310]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 3, 2021/ज्येष्ठ 13, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 3, 2021/JYAISTHA 13, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 2021

सं. 32/2021-सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. 388(अ).—जहां कि रूस में मूलतः उत्पादित या वहां से निर्यातित “पोलीटेट्राफ्लोरोथिलीन” के आयात पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 6 जून, 2016, जिसे सा.का.नि. 574 (अ), दिनांक 6 जून, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को आगे जारी रखने के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) के नियम 23 के साथ पठित, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार प्रारंभिकीकरण अधिसूचना संख्या 7/47/2020-डीजीटीआर, दिनांक 12 फरवरी, 2021, जिसे दिनांक 12 फरवरी, 2021 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत समीक्षा का कार्य शुरू किया है और उन्होंने उक्त सीमा शुल्क टैरिफ

अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (5) के अनुसार उक्त प्रतिपाटन शुल्क को आगे भी जारी रखने के लिए अनुरोध किया है।

अतः अब उक्त नियमावली के नियम 18 और 23 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप धारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 23/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 6 जून, 2016, जिसे सा.का.नि. 574 (अ), दिनांक 6 जून, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैराग्राफ 2 के पश्चात और स्पष्टीकरण के पहले, निम्नलिखित पैराग्राफ को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“3. पैराग्राफ 2 में निहित किसी भी बात के बावजूद यह प्रतिपाटन शुल्क 31 अक्टूबर, 2021 तक, जिसमें यह तारीख भी शामिल है, यदि इसके पहले इसे वापस नहीं ले लिया जाता है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो, लागू रहेगा।”

[फा. सं. सीबीआईसी-190354/17/2021-टीओ (टीआरयू-1)-सीबीईसी]

गौरव सिंह, उप सचिव

नोट:- प्रधान अधिसूचना संख्या 23/2016-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 6 जून, 2016 को सा.का.नि. 574 (अ), दिनांक 6 जून, 2016 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 22/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 16 मई, 2017, जिसे सा.का.नि. 477 (अ), दिनांक 16 मई, 2017 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 2021

No. 32/2021 -Customs (ADD)

G.S.R. 388(E).—Whereas, the designated authority vide initiation notification No. 7/47/2020-DGTR, dated the 12th February, 2021, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section 1, dated the 12th February, 2021, has initiated review in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) (hereinafter referred to as the Customs Tariff Act) read with rule 23 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as the said rules), in the matter of continuation of anti-dumping duty on imports of ‘Polytetrafluoroethylene’, originating in or exported from Russia, imposed vide notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 23/2016-Customs (ADD), dated the 6th June, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 574(E), dated the 6th June, 2016, and has requested for extension of the said anti-dumping duty in terms of sub-section (5) of section 9A of the Customs Tariff Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (5) of section 9A of the Customs Tariff Act, read with rules 18 and 23 of the said rules, the Central Government hereby makes the following further

amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 23/2016-Customs (ADD), dated the 6th June, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 574(E), dated the 6th June, 2016, namely :-

In the said notification, after paragraph 2 and before the Explanation, the following paragraph shall be inserted, namely-

“3. Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the anti-dumping duty shall remain in force up to and inclusive of the 31st October, 2021, unless revoked, superseded or amended earlier.”.

[F. No. CBIC-190354/17/2021-TO(TRU-I)-CBEC]

GAURAV SINGH, Dy. Secy.

Note: The principal notification No. 23/2016-Customs (ADD), dated the 6th June, 2016 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 574(E), dated the 6th June, 2016 and was last amended vide notification No. 22/2017-Customs (ADD), dated the 16th May, 2017, published vide number G.S.R. 477(E), dated the 16th May, 2017.